संख्या: 46/2022/774/12-2-2022-एफ.42/2001

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 08 जून, 2022

विषय: कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की व्यवस्था कराने, उर्वरकों का वितरण शतप्रतिशत पी.ओ.एस. के माध्यम से तथा उर्वरक बिक्री उपरान्त कृषकों को कैश मेमों/पर्ची दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि खरीफ, 2022 की फसलों की बुआई का कार्य माह मई के मध्य से कृषकों द्वारा प्रारम्भ किया जाता है। बुवाई के समय नत्रजनिक के साथ-साथ फास्फेटिक उर्वरकों की आवश्यकता माह जून एवं जुलाई में अधिक होने के कारण मांग में वृद्धि हो जाती है। तद्समय कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जानी है। फसल सीजन में प्रदेश के अन्तर्गत असामाजिक तत्वों द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, अनुदानित उर्वरकों का प्रयोग औद्यागिक इकाईयों में किए जाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय (इण्डो-नेपाल)/अन्तर्राज्जीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में उर्वरकों की तस्करी किए जाने की सम्भावना के दृष्टिगत सतत् निगरानी/उर्वरक बिक्री केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण एवं उपलब्ध भौतिक सम्भार कर सत्यापन किया जाना आवश्यक है। कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित शासन की प्राथमिकता है। अतएव, उक्त के दृष्टिगत निम्नानुसार कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

(1) जनपद में आपूर्तित एवं उपलब्ध उर्वरकों का कृषकों के मध्य उनकी कृषि जोत, फसल के अनुसार एवं उनके आधार कार्ड के आधार पर वितरण सुनिश्चित कराया जाये। उर्वरकों की आपूर्ति, उपलब्धता एवं वितरण की जनपद स्तरीय समिति के द्वारा साप्ताहिक बैठक आयोजित कर नियमित रूप से समीक्षा की जाए एवं समीक्षा के दौरान संज्ञान में लाये गये प्रकरणों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(2) शासनादेश संख्या: 33/2020/1866/12-2-2020-एफ.58/2008, दिनांक 15 सितम्बर, 2020 में दिए गए निर्देशानुसार जनपद में उर्वरक के आवक होने पर विभिन्न फुटकर/रिटेल विक्रेताओं में वितरण जिलाधिकारी के नेतृत्व में सुनिश्चित कराया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण हेतु कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर सघन रूप से छापे की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए। जहॉ पर कालाबाजारी/जमाखोरी अथवा निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक दरों में उर्वरकों की बिक्री की शिकायत प्राप्त हो अथवा जिन-जन क्षेत्रों में उर्वरकों की मांग अधिक है, वहॉ कृषकों की अधिक संख्या में आने की सम्भावना हो तो वहॉ क्षेत्रीय अधिकारियों की निगरानी में उर्वरकों का वितरण कराया जाए।

(4) फुटकर के साथ-साथ थोक विक्रेताओं एवं बफर स्टाकिस्टों के स्टॉक का भी सघन निरीक्षण किया जाए। यह अवश्य देखा जाए कि कहीं थोक विक्रेता अपने पास उर्वरक का अनावश्यक भण्डारण स्थानीय स्तर पर कर कृत्रिम अभाव की स्थिति न उत्पन्न कर रहे हों। यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है तो स्टॉक को बाजार में कृषकों में बिक्री के लिए अवमुक्त किया जाए एवं संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही भी की जाए।

(5) यदि कोई थोक उर्वरक विक्रेता/फुटकर उर्वरक विक्रेता मुख्य उर्वरक यथा यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 काम्प्लेक्स, एम0ओ0पी0 एवं एस0एस0पी0 के साथ कम प्रचलित अन्य उत्पाद भी खरीदने हेतु बाध्य करता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सहित अन्य प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ऐसे उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्था पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाए, जिनके द्वारा किसी थोक उर्वरक विक्रेता को प्रमुख उर्वरक यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 काम्प्लेक्स, एम0ओ0पी0 एवं एस0एस0पी0 की आपूर्ति दिए जाने हेतु कम प्रचलित उर्वरक प्राप्त करने हेतु बाध्य किया जाता है। बाध्यता की पुष्टि होने पर सम्बन्धित उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्था के विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत नियमों के उल्लंघन हेतु तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।

(6) समस्त उर्वरकों की बिक्री निजी क्षेत्र, सहकारिता एवं अन्य बिक्री केन्द्रो के द्वारा शत-प्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से निर्धारित दर/मूल्य पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराई जाए। पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री नहीं करने तथा क्रेता कृषको को पी0ओ0एस0 मशीन से निकलने वाली पर्ची नहीं देने वाले उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए।

(7) एम0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर उर्वरकों की बिक्री हेतु एक्नॉलेजमेंट की व्यवस्था के दृष्टिगत उर्वरक निर्माताओं से थोक विक्रेता और थोक विक्रेता से फुटकर विक्रता तक उर्वरकों के एक्नॉलेजमेन्ट की व्यवस्था रियल टाइम की जाए, जिससे कृषकों को उर्वरक वितरण के साथ-साथ डीबीटी प्रणाली के अन्तर्गत वास्तविक क्रेता का नाम दर्ज हो सके। भौतिक रूप से जैसे ही उर्वरक का मूवमेन्ट होता है, वैसे ही ऑन-लाइन प्रणाली को भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अद्यावधिक करना सुनिश्चित कराया जाए और इसमें विलम्ब करने वाले थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

(8) प्रत्येक उर्वरक व्यवसायी के स्तर पर स्टाक पंजिका, विक्रय पंजिका तथा रसीद अनिवार्य रूप से रखी जाए या ऐसे प्रारूप में डिजिटल स्टाक रजिस्टर, जो तिथिवार स्टाक स्थिति, आरम्भिक अतिशेष, दिन के दौरान प्राप्तियां, दिन के दौरान विक्रय और अन्तिम स्टाक को स्पष्टत: प्रदर्शित करता हो, का होना आवश्यक है। जनपद में थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेताओं तथा उर्वरक बिक्री केन्द्रो पर उर्वरकों की उर्वरकवार बिक्री दर तथा स्टाक का अंकन रेट/स्टाक बोर्ड पर प्रतिदिन अंकित किया जाए।

(9) उर्वरक विक्रेताओं द्वारा अपने विक्रय केन्द्रों पर एक विक्रय रजिस्टर रखा जाए जिसमें किसान का नाम, पिता का नाम, गॉव, श्रेणी, कृषित भूमि, उर्वरक का नाम, मात्रा, प्राप्त धनराशि तथा कैश रसीद की संख्या एवं दिनांक का अंकन किया जाए ताकि उर्वरक निरीक्षक के निरीक्षण के समय रजिस्टर से मिलान कर उर्वरक बिक्री का समय-समय पर सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके।

(10) प्रत्येक माह टॉप-20 बायर्स/फ्रिक्वेन्ट बायर्स (क्रेता) की सूची एम0एफ0एम0एस0 पोर्टल से प्राप्त कर पूर्व में निर्गत आदेशानुसार सूची का परीक्षण करा लें तथा संदिग्ध प्रकरणों की टीम गठित करतें हुए स्थलीय जांच कराकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराई जाए तथा भारत सरकार के सम्बन्धित पोर्टल पर प्रत्येक माह सत्यापन रिपोर्ट अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(11) यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 काम्प्लेक्स, एम0ओ0पी0 एवं काम्प्लेक्स उर्वरकों की निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य दर के अन्तर्गत बिक्री सुनिश्चित कराई जाए। यदि कोई उर्वरक विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री करता हुआ पाया जाए तो उसके विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985, आवश्यक वस्तुअधिनियम 1955 के अन्तर्गत निहित प्राविधानानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।

(12) भारत-नेपाल सीमावर्ती जनपदों में 05 कि0मी0 क्षेत्रान्तर्गत निजी क्षेत्र की उर्वरक बिक्री हेतु उर्वरक निबन्धन प्रमाण पत्रों के निर्गमन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। यह सुनिश्चित किया जाए कि इस परिधि में निजी क्षेत्र का कोई उर्वरक विक्रय केन्द्र क्रियाशील न रहे। साथ ही इन जनपदों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से अवैध परिसंचलन पर भी पुलिस एवं स्टेट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो (एस0आई0बी0) के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाए एवं अवैध परिसंचलन को कठोरता से रोका जाए।

(13) जनपदों में डीलरों द्वारा उर्वरक स्टाक को एक जनपद से दूसरे जनपद के डीलर को विक्रय किया जाता है जिसके कारण उर्वरकों की शीर्ष मांग के समय जनपद में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता होते हुए भी कमी का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तरफ राज्य स्तर से प्रत्येक माह जारी किए जाने वाले उर्वरक मूवमेन्ट प्लान्ट के विपरीत उर्वरक आपूर्ति/विक्रय की कार्यवाही की जा रही है। जनपद हेतु जारी किए गए उर्वरक मूवमेन्ट प्लान के वितरीत किसी भी प्रकार के उर्वरकों का संचलन अनुचित है। इसका उल्लंघन करने वाले उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 तथा उर्वरक (परिसंचलन नियन्त्रण), 1973 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए।

(14) शासनादेश संख्या:65/2021/1363565/12-2099/86/2021-एफ-42/2001, दिनांक 29 सितम्बर, 2021 द्वारा निर्गत विस्तृत निर्देशानुसार अनुदानित यूरिया के औद्योगिक या गैर-कृषिगत कार्यों मे सम्भावित उपयोग को रोकने हेतु टीम गठित कर समय-समय पर सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों पर छापे डालने की कार्यवाही की जाए तथा अनुदानित यूरिया का उपयोग पाए जाने पर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कृपया तदनुसार उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:46/2022/774(1)/12-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
2. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
3. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश , लखनऊ,
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in